कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail:nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 859 / FP/UK/ROAD/9811/2015 :देहरादूनःदिनांकः 27 जुलाई, 2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
भारत सरकार पर्यावरण,
वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर–मध्य क्षेत्र),25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद–चमोली के विकास खण्ड गैरसैण में मेखोली से नलगॉव–लखेड़ी–वासीसेम मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.152 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

संदर्भः– भारत सरकार का पत्रॉक–8बी / यू.सी.पी. / 06 / 282 / 2015 फ0सी0 / 2169 दिनांक 14–03–2018

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गैरसैंण के पत्रांक 33 / 1 एल ए दिनांक 03.01.2019 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित की गयी है, जिसे निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :–

1. **शर्त संख्या–1** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.304 हे0 ग्राम सिलंगी एवं ग्राम से प्रभावित होने वाले 473 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं उनके 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु देय धनराशि रूपये 5,20,300.00 मात्र की धनराशि ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा करा दी गई है। **(संलग्नक–1)**
2. **शर्त संख्या–2** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की देय धनराशि रूपये 18,18,440.00 मात्र ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा करा दी गई है।**(संलग्नक–1 के अनुसार)**
3. **शर्त संख्या–3** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित एन0पी0वी0 की धनराशि में बढोतरी का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–2)**
4. **शर्त संख्या–4** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा (CA cost NPV Cost etc) जमा की गयी कुल धनराशि रू0 30,17,814.00 के चालान की प्रति संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–3)**
5. **शर्त संख्या–5** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सडक निर्माण के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strip plantation की जायेगी।
6. **शर्त संख्या–6** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि यह मार्ग के किमी0 03 से प्रारम्भ है। जिसका विवरण वन भूमि प्रस्ताव के प्रारूप–11 में किया गया है, जो कि प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि विषयाँकित प्रकरण की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुये प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नः–यथोपरि

भवदीय,
27/7/20
(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या :– / **FP/UK/ROAD/9811/2015 दिनांकित।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, वन अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
2. उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग, गोपेश्वर।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, गैरसैण।

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी